पत्रावली आज बमुकाम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोक
अदालत न्याय आपके द्वार में पेश हुई। [illegible] बाप
के कोई उपस्थित नहीं आ[illegible]
दिनांक 14/7/17

उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर बाप

14.7.2017 पत्रावली राजस्व लोक अदालत व्यवहार आपके द्वारा 2007 के वाद
बाप में पेश हुई। वकील प्रार्थी व पक्ष सरकार उपस्थित,
अभ्यर्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी
ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को
दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खातेदारी भूमि पर
अप्रार्थीगण द्वारा मारवा हरवाने आदि पर प्रार्थी को
अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया सुविधा का
सन्तुलन व अन्य बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है अतः अप्रार्थी
गण के विरुद्ध प्रार्थी की खातेदारी भूमि में लगाए
गए मारवा नहीं हटवाने आदि के लिए अप्रार्थीगण को
तथा उनके अन्य पदाधिकारी को प्रार्थी के पक्ष के निर्णय
आदि के प्रकाश में प्रार्थी के हक में प्रार्थना पत्र
में वर्णित तथ्यों को जोरदार विरोध करते हुए
जवाब में वर्णित तथ्यों को दुहराया तथा
प्रार्थना किया कि प्रार्थी के खेत में से नहर निकाले
जाने का प्रार्थी का क्या कोई अधिकार नहीं
बनता है अतः बहस के दौरान कथन किया गया। वादग्रस्त
सिंचाई एवं ड्रेनेज एक्ट 1954 की धारा 52 के तहत
एक प्रकरण का निलाम सिविल कोर्ट के जरिये
किया जाता है। वादग्रस्त पत्र न्यायालय द्वारा के अधिकार
का नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से
खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त एवं
पक्षों का अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की
वादग्रस्त भूमि में लगे मारवा को हटवाने
के मध्य वादग्रस्त भूमि में तो प्रार्थी की खातेदारी
अधिकार के संबंध में विवाद है। प्रार्थी की खातेदारी
खातेदारी भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है
उक्त प्रकरण में भूमि विवाद नहीं होने से प्रकरण
न्यायालय द्वारा के अधिकार से संबंधित नहीं है
इस स्थिति में उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार
की निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं
है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने
से

हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
खारिज किया जाता है। मिसल दुबारा श्रमा दाखिल दफ्तर हो। नम्बर के रूप हो। (राजेन्द्र कुमार डांगा) R.A.S.	